कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/मा–द/गुणवत्ता/स्माईल3.0/61172/2021–22/162-163 दिनांक: 23 OCT 2021

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा।
समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।
समस्त पीईईओ/यूसीईईओ।

विषय :– सत्र 2021–22 में विद्यार्थियों के द्वितीय परख के आयोजन व दिशा–निर्देश बाबत।
प्रसंग :– शासन उप सचिव–प्रथम का पत्र क्रमांक : प.17(5)शिक्षा–1/परीक्षा/2021 दिनांक : 26.08.2021।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि कोविड–19 गाइड़ लाइन के अनुसार सत्र 2021–22 में नियमित कक्षा शिक्षण के अभाव में विद्यार्थियों की अध्ययन निरंतरता हेतु "आओ घर में सीखे 2.0" कार्यक्रम के तहत स्माईल 3.0 के द्वारा प्रतिदिन विभिन्न विषयों के वीडियो लिंक तथा वर्कशीट एवं वर्कबुक के माध्यम से अध्यापन करवाया जा रहा हैं साथ ही सितम्बर माह से विद्यार्थियों का नियमित कक्षा शिक्षण भी प्रारम्भ हो चुका है। विद्यार्थियों के सीखने के स्तर की जाँच के उद्देश्य से निम्नानुसार द्वितीय परख लिया जाना है।

a) <u>जो विद्यार्थी विद्यालय कक्षा शिक्षण हेतु विद्यालय आ रहे है</u> :– कोविड गाइड लाइन के अनुरूप विद्यालय उपस्थित होने वाले 50% विद्यार्थियों के लिए परख दिनांक 26.10.2021 एवं शेष 50% विद्यार्थियों के लिए परख 27.10.2021 को आयोजित होगी।

b) <u>कोविड गाइड लाइन के अनुसार अभिभावक सहमति के अभाव में विद्यालय नहीं आ रहे है</u> :– जो विद्यार्थी अभिभावकों की सहमति के अभाव में कक्षा शिक्षण हेतु विद्यालय उपस्थित नहीं हो रहें हैं एवं स्माइल 3.0/आओ घर में सीखें/ अथवा अन्य ऑनलाइन माध्यम से अध्ययन निरन्तर रखें हुए हैं, की परख "आओ घर में सीखें" के तहत ली जाए तथा इस हेतु ऐसे विद्यार्थियों को विद्यालय द्वारा घर पर मूल्यांकन प्रपत्र दिनांक 26 व 27.10.2021 को उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसे हल करने के उपरांत विद्यालय द्वारा दिनांक 28.10.21 तक अनिवार्यतः एकत्रित कराना सुनिश्चित किया जाए।

<u>राजकीय विद्यालयों हेतु द्वितीय परख संबंधी निर्देश–</u>

1. **<u>परख तिथि</u>:–** सत्र 2021–22 द्वितीय परख उपर्युक्तानुसार **26 से 28 अक्टूबर 2021** के मध्य आयोजित किये जायेंगे, जो विद्यार्थी कोविड गाइड लाइन के अनुरूप एकान्तर दिवस में विद्यालय में उपस्थित होगें, उनकी परख विद्यालय द्वारा आगामी दिवस को आयोजित की जाए।
2. **<u>परख हेतु मूल्यांकन प्रपत्र</u>:–** प्रश्न पत्र **26 से 28 अक्टूबर 2021** को आयोज्य द्वितीय परख कक्षा 1 से 12 के लिए निम्नानुसार होगा–
    1. प्रत्येक विषय में 20 प्रश्न होंगे।
    2. सभी प्रश्न बहुवैकल्पिक होंगे।
    3. प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा।
    4. प्रश्नों में अधिगम क्षमता आधारित प्रश्नों को सम्मिलित किये जाएंगे।
    5. प्रश्नपत्र, स्माइल–3.0, वर्कबुक, वर्कशीट एवं कक्षा–शिक्षण में अध्ययन कराए गये पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे।
    6. प्रश्न पत्र का निर्माण विद्यालय स्तर पर किया जाएगा। प्रश्न पत्र निर्माण में सहायता हेतु **प्रश्नपत्र का प्रारूप कक्षावार–विषयवार प्रारूप स्माइल मैसेज के साथ पूर्व दिवस 25 अक्टूबर 2021 को बिट–ले लिंक के माध्यम से भिजवाया जाएगा,** जिसकी सहायता से विषयाध्यापक विद्यालय स्तर पर प्रश्नपत्र तैयार करेंगे।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

3. **परख के मूल्यांकन प्रपत्रों का संधारण** – प्रश्नपत्र, बहु–वैकल्पिक होने के कारण, यही मूल्यांकन प्रपत्र होगा, जिसे विषयाध्यापक द्वारा दिनांक 09.11.21 तक जाँच कर कक्षा अध्यापक को उपलब्ध कराना है। कक्षा अध्यापक दिनांक 15.11.21 तक विद्यार्थी के प्राप्तांकों की प्रविष्टि का अंकन शालादर्पण मॉड्यूल पर किया जाना सुनिश्चित करेंगे। कक्षा अध्यापक संबंधित विद्यार्थी के हल मूल्यांकन पत्र को विद्यार्थी के पोर्ट–फोलियो में संधारित करेंगे तथा विद्यार्थी की उपलब्धि SDMC/SMC बैठक में अभिभावकों से साझा करेंगे।

गैर सरकारी RBSE विद्यालयों हेतु द्वितीय परख संबंधी प्रमुख निर्देश:–

1. **द्वितीय परख तिथि :–** गैर सरकारी विद्यालयों में भी उपर्युक्तानुसार दिनांक 26.10.2021 से 28.10.2021 तक द्वितीय परख का आयोजन कर लिया जाना सुनिश्चित करेंगे।
2. **द्वितीय परख हेतु पाठ्यक्रम निर्धारण :–** नियमित कक्षा शिक्षण तथा इन विद्यालयों द्वारा शिक्षण हेतु वैकल्पिक व्यवस्थाओं यथा ऑनलाईन शिक्षण अथवा विद्यार्थी को भेजे गये कंटेंट की सहायता से पूर्ण हुए पाठ्यक्रम में से द्वितीय परख का आयोजन किया जाना है। कोविड गाइड लाइन के अनुसार परख दिवस को विद्यालय नहीं आने वाले विद्यार्थी की परख की व्यवस्था विद्यालय स्तर पर आगामी दिवस को की जाए।
3. **परख रिकॉर्ड संधारण:–** विद्यार्थियों के द्वितीय परख के रिकॉर्ड का संधारण पृथक पंजिका में कर, विद्यालय में सुरक्षित रखा जाना अनिवार्य है।

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा एवं भाषा एवं पुस्तकालय विभाग एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर सह विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. शासन उप–सचिव–प्रथम, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
7. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, एवं पंचायती राज. प्रा.शि. राजस्थान, बीकानेर।
8. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर।
9. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
10. उप निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, जयपुर/सहायक निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा।
11. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु।
12. समस्त संस्था प्रधान, उमावि/मावि/उप्रावि/प्रावि......................।
13. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर